भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2010
14.03.2017 को उत्तर के लिए

जैव-विविधता प्रबंधन समितियां

2010. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में कार्यशील जैव-विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) की संख्या कितनी है और गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितनी बीएमसी की स्थापना की गई है;
(ख) जैव-विविधता के संरक्षण विशेषकर परम्परागत ज्ञान के संरक्षण के सबंध में आज तक बीएमसी द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या हैं;
(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा बीएमसी को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) को कितनी निधियां आबंटित की गई;
(घ) क्या सरकार की एनबीए, राज्य जैव-विविधता बोर्ड (एसएसबी) और बीएमसी के बीच निष्पादन और समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए सुधार लाने की कोई योजना है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री अनिल माधव दवे)

(क) वर्तमान में, 26 राज्यों में 62,055 बीएमसी प्रचालन में हैं। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान 26 राज्यों में यह आंकड़ा क्रमश: 37,769 और 41,180 था। बीएमसी की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) जैविक विविधता नियम, 2004 के नियम 22 के अनुसार बीएमसी का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैव-विविधता पंजीयकों (पीबीआर) तैयार करना है जिसमें जैविक संसाधनों की उपलब्धता और जानकारी अथवा उनसे संबंधित पारम्परिक ज्ञान सहित किसी अन्य उपयोग के संबंध में समग्र सूचना शामिल होती है। अब तक ऐसे 5151 पीबीआर तैयार कर लिए गए हैं।

(ग) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान, बीएमसी को राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण (एनबीए) द्वारा सरकार से प्राप्त निधियों तथा उक्त अवधि के दौरान एनबीए के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

(घ) और (ड.) एनबीए, राज्य जैव-विविधता बोर्डों (एसबीबी) और बीएमसी के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के क्रम में उनके बीच समन्वय को अनेक उपायों के माध्यम से बढ़ाया और सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें एसबीबी के साथ आवधिक क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर परामर्श करना, एसबीबी और बीएमसी को, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ज्ञानवर्धक सामग्री को तैयार और प्रचार-प्रसार करना, विषयपरक विशेषज्ञ समितियों में सहभागिता, पीअर से पीअर शिक्षण और विनिमय दौरे और वेबसाइटों का विकास शामिल है।

*****

अनुबंध-I : बीएमसी की राज्य और वर्ष-वार संख्या

क्र.सं.	एसबीबी	2014-15 (31.03.2015 तक)	2015-16 (31.03.2016 तक)	2016 - 17 (आज की तारीख तक)
1	आंध्र प्रदेश	928	1741	2738
2	अरुणाचल प्रदेश	43	58	58
3	असम	171	171	189
4	छत्तीसगढ़	27	27	45
5	गोवा	54	54	103
6	गुजरात	3405	4834	6700
7	हिमाचल प्रदेश	155	160	322
8	झारखंड	66	135	448
9	कर्नाटक	4636	4636	4900
10	केरल	1043	1043	1043
11	मध्य प्रदेश	23743	23406	23406
12	महाराष्ट्र	890	890	16492
13	मणिपुर	52	62	62
14	मेघालय	94	105	201
15	मिजोरम	221	221	222
16	नगालैंड	10	10	83
17	ओडिशा	230	704	1034
18	पंजाब	55	55	69
19	राजस्थान	31	49	49
20	सिक्किम	13	25	25
21	तमिलनाडु	16	16	16
22	तेलंगाना	710	1515	2402
23	त्रिपुरा	217	280	361
24	उत्तराखंड	751	765	776
25	उत्तर प्रदेश	32	32	106
26	पश्चिम बंगाल	176	195	205
	कुल	37769	41180	62055

अनुबंध-II : बीएमसी का गठन करने और पीबीआर तैयार करने के लिए जारी किया गया राज्य और वर्ष-वार अनुदान

क्र.सं.	एसबीबी का नाम	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17 (08/03/2017 की स्थिति के अनुसार)	
		बीएमसी के गठन के लिए जारी अनुदान (रुपए)	पीबीआर तैयार करने के लिए जारी अनुदान (रुपए)	बीएमसी के गठन के लिए जारी अनुदान (रुपए)	पीबीआर तैयार करने के लिए जारी अनुदान (रुपए)	बीएमसी के गठन के लिए जारी अनुदान (रुपए)	पीबीआर तैयार करने के लिए जारी अनुदान (रुपए)	बीएमसी के गठन के लिए जारी अनुदान (रुपए)	पीबीआर तैयार करने के लिए जारी अनुदान (रुपए)
1	आंध्र प्रदेश	-	-	4020000	5750000	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	1955000	1500000	2645000	2820000	-	-	2990000
3	असम	-	4330000	-	-	-	-	1800000	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	2700000	-	3720000	5126474	-	-
6	गोवा	3820000	-	-	2645000	3400000	-	-	4945000
7	गुजरात	3900000	-	5880000	11500000	-	-	-	10350000
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	5405000	3060000	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	720000	-	-	-
11	झारखंड	1200000	2875000	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	3450000	5200416	-	-	-	-	-
13	केरल	-	1150000	-	-	-	-	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	13000000	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	1200000	-	4320000	3335000	-	-	-	-
16	मणिपुर	420000	-	-	-	-	-	-	-
17	मेघालय	1200000	2875000	-	-	-	-	-	-
18	मिजोरम	-	230000	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ओडिशा	-	-	7500000	5060000	-	-	-	-
21	पंजाब	1980000	1495000	1880000	3565000	-	-	-	-
22	राजस्थान	2580000	2200000	-	-	-	-	-	-
23	सिक्किम	420000	-	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	900000	-	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	-	-	4260000	5750000	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	5180000	4830000	1740000	6095000	-	3335000	4799888	-
27	उत्तराखंड	-	8400000	6000000	4950000	-	-	-	-
28	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	2550000	-	-	4704000	7500000	-	-
कुल		22800000	49340000	45000416	56700000	18424000	15961474	6599888	18285000